रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072025-265120
CG-DL-E-30072025-265120

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3450] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 30, 2025/श्रावण 8, 1947
No. 3450] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 30, 2025/SHRAVANA 8, 1947

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2025

का.आ. 3534(अ).— केंद्रीय सरकार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड के साथ परामर्श करने के पश्चात, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर) चंडीगढ़ में,

(i) स्वच्छता सेवा (सफाई, झाड़ने और कूड़ाकरकट हटाने);

(ii) सुरक्षा सेवाएं (संस्थान की निगरानी और सेवा); और

(iii) दाखिल रोगियों की खानपान सेवा,

के संकर्मों में अन्तर्वलित ठेका श्रम के नियोजन के संबंध में भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3161(अ), तारीख 12 दिसंबर, 2014, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) को प्रकाशित की गई थी, के लागू होने से स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर) चंडीगढ़ को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए राजपत्र में इस अधिसूचना को 13 जनवरी, 2024 से 12 जनवरी, 2026 तक दो वर्षों की अवधी के लिए छूट प्रदान करती है, अर्थात् :–

(क) अस्पताल प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि ठेका कर्मकार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) नियम, 1971 के नियम 25 के उपनियम (2) के खंड (v) के उपखंड (क) के निबंधनों के अनुसार किसी स्थापना में एक समान कार्य निष्पादित करने वाले न्यूनतम संदत्त नियमित कर्मकार समान मजदूरी और अन्य सुविधाएं संदत्त की जाती हैं; और

(ख) बोर्ड को यह सुनिश्चित करने और जांच करने के लिए स्थापन निरीक्षण का अधिकार होगा कि क्या ऐसे कर्मकारों को मजदूरी और फायदे प्रदान किए जाते हैं और क्या पूर्वोक्त शर्तें स्थापन द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।

व्याख्यात्मक ज्ञापन: यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने से कोई व्यक्ति प्रतिकूल रुप से प्रभावित नहीं हो रहा है।

[फा. सं. एस-16014/29/2006-एल.डब्ल्यू(बी)]

आशुतोष ए.टी. पेडणेकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2025

S.O. 3534(E).— In exercise of the powers conferred by section 31 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), the Central Government, after consultation with the Central Advisory Contract Labour Board, hereby exempts the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh from the applicability of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 3161(E), dated the 12th December, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 12th December, 2014, in respect of employment of contract labour involved in the works of,-

(i) sanitation services (cleaning, sweeping and dusting);

(ii) security services (watch and ward of the institute); and

(iii) catering services to admitted patients,

in the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, for a further period of two years with effect from 13th January, 2024 to 12th January, 2026 subject to the following conditions, namely: -

(a) the hospital management shall ensure that the contract workers are paid wages and provided other facilities equal to the lowest paid regular worker performing similar work in the establishment in terms of sub-clause (a) of clause (v) of sub-rule (2) of rule 25 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Rules, 1971; and

(b) the Board shall have the right to inspect the establishment to ensure and check whether such wages and benefits are provided to such workers and whether the above said conditions are implemented by the establishment.

Explanatory Memorandum: It is certified that no person shall be adversely affected by giving retrospective affect to this notification.

[F. No. S-16014/29/2006-L.W(B)]

ASHUTOSH A.T. PEDNEKAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.07.30 22:28:15 +05'30'